

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हैड ऑफ फोरेस्ट फोर्स)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 1()14/15 ऑडिट समिति/प्रमुखस/

दिनांक 10/03/2015

संशोधित बैठक सूचना

समसंख्यक बैठक की सूचना दिनांक 12.03.2015 द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में वन विभाग की विभागीय आडिट समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 12.03.2015 को सायं 4.00 बजे के स्थान पर दोपहर 12.00 बजे आयोजित की जावेगी। बैठक में निम्न अधिकारियों की उपस्थिति प्रार्थनीय है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हैड ऑफ फोरेस्ट फोर्स) राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (टी.आर.ई.ई) जयपुर
- 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रति पालक राज. जयपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना एवं वन बन्दोबस्त राज. जयपुर।
5. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), राजस्थान के प्रतिनिधि।
6. निदेशक, निरीक्षक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जन लेखा समिति प्रकरण, वन भवन, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेंक्षण) विभाग राजस्थान, जयपुर।
9. उप शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

EO

वित्तीय सलाहकार,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 1()14/15 ऑडिट समिति/प्रमुखस/ 9449-80

दिनांक 10/03/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हैड ऑफ फोरेस्ट फोर्स) राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (टी.आर.ई.ई) जयपुर
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, जयपुर
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना एवं वन बन्दोबस्त राज. जयपुर
6. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), राजस्थान।
7. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जन लेखा समिति प्रकरण, वन भवन, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेंक्षण), विभाग।
9. निदेशक, निरीक्षण, विभाग।
10. उप शासन सचिव, वन विभाग।
11. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अ.व.प., राजस्थान, जयपुर।
12. मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय) जयपुर,
मुख्य वन संरक्षक जयपुर/उदयपुर/कोटा/जोधपुर/बीकानेर/अजमेर/भरतपुर/आयोजना, जयपुर/तेन्दू पत्ता/विभागीय कार्य/बनास नदी परियोजना/वन्यजीव, जयपुर/वन्यजीव जोधपुर/वन्यजीव उदयपुर/वन्यजीव कोटा/निदेशक परियोजनाएं कोटा, उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिकी सहायक, प्र.मु.व.स. राज. जयपुर को भिजवाकर अनुरोध है कि विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) के क्रमांक प.13(116) वित्त/अंकेंक्षण/91 जयपुर दिनांक 06.02.2015 के निर्देशानुसार गत 5 वर्षों के वसूली से संबंधित आक्षेपों की प्रगति रिपोर्ट सहित ऑडिट समिति की बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का श्रम करे।
13. सम्पदा अधिकारी, वन भवन, जयपुर।

3mk

वित्तीय सलाहकार,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर